

# Rajasthan Olive Cultivation Limited



(Joint Venture of Govt. of Rajasthan)  
State Institute of Agriculture Management Campus,  
Agriculture Research Station, Durgapura, Jaipur-302018  
Rajasthan (India) Ph. 91-0141-2554106 TeleFax +91-141-2553506  
Web:www.rajolive.com Email, rocl@rajolive.com  
CIN:U01122RJ2007PLC024246

क्रमांक प.(69-सी) आर.ओ.सी.एल./2016-17/2582-89

जयपुर, दिनांक 22/11/2016

## आमंत्रण-पत्र

राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 20.06.2016 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बस्सी जयपुर पर कृषि संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु अनुभवी एवं विगत समय में अनुबंध पर कार्य कर चुके, निम्नांकित व्यक्तियों से प्रस्ताव उनके नाम के सम्मुख अंकित मासिक पारीश्रमिक पर एक वर्ष के अनुबंध करने हेतु दिनांक 23.11.2016 से 30.11.2016 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

| क्रम संख्या | नाम कार्मिक        | पद                      | स्थान         | नवीन पारीश्रमिक (प्रति माह) राशि रु. |
|-------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1           | श्री अशोक कुमार    | कृषि विस्तार कार्यकर्ता | सी.ओ.ई. बस्सी | 14850                                |
| 2           | श्री दीपक शर्मा    | कृषि विस्तार कार्यकर्ता | सी.ओ.ई. बस्सी | 14850                                |
| 3           | श्री सीताराम मीना  | कृषि विस्तार कार्यकर्ता | सी.ओ.ई. बस्सी | 10800                                |
| 4           | श्री लालचंद मीना   | कृषि विस्तार कार्यकर्ता | सी.ओ.ई. बस्सी | 13750                                |
| 5           | श्री रामनिवास मीना | कृषि विस्तार कार्यकर्ता | सी.ओ.ई. बस्सी | 20350                                |

इसकी मुख्य शर्तें निम्न प्रकार से हैं :-

1. यह स्पष्ट किया जाता है कि ये कोई भर्ती नहीं है तथा अनुबंध का आशय केवल मात्र सेंवाये देने तक हैं जिसके पेटे प्रस्तुत बिल का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा अर्थात कंपनी एवं अनुबंधकर्मी के मध्य स्वामी एवं सेंवक का संबंध नहीं होगा।
2. कंपनी पूर्व में तथा अनुबंध के दौरान समय-समय पर जारी समस्त नियम दिशा-निर्देशों की पालना करनी होंगी।
3. अनुबंध की अधिकतम अवधि एक वर्ष के लिये होगी जो किसी भी समय नियमानुसार समाप्त की जा सकेगी।
4. अनुबंधकर्मी को मासिक सेवाओं के पेटे मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
5. दिनांक 30.11.2016 के पश्चात प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

